INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD)
© 2026 IJNRD | Volume 11, Issue 4, April 2026 | ISSN: 2456-4184 | IJNRD.ORG

चौ० देवी लाल : हरियाणा में शिक्षा क्रान्ति के अग्रदूत

निवासु
शोधार्थी
इतिहास एवं पुरातत्व विभाग
चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय
सिरसा(हरियाणा)।
Email.Id. niwasuPhd272@cdlu.ac.in

डॉ. नीलम रानी
सहायक प्रोफेसर
इतिहास एवं पुरातत्व विभाग
चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय
सिरसा(हरियाणा)।

शोध–सार

चौधरी देवी लाल जिन्हें हम ''ताऊ'' देवीलाल के नाम से भी जानते हैं एक दूरदर्शी नेता थे। इन्होंने भारतीय स्वतन्त्रता आंदोलन तथा हरियाणा राज्य निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई। लगातार आमजन की समस्याओं को उजागर करने के परिणामस्वरूप हरियाणा की जनता ने इन्हें हरियाणा के मुख्यमन्त्री के रूप में कार्य करने का कार्यभार सौंपा। इस पद पर रहते हुए इन्होंने गरीब कल्याण के लिए विभिन्न नीतियाँ बनाईं। इनका मानना था कि शिक्षा ग्रामीण आबादी के सशक्तिकरण का प्राथमिक उपकरण है। इनके प्रयासों का मुख्य उद्देश्य किसानों के बच्चों के लिए शिक्षा सुलभ बनाना तथा ग्रामीण शिक्षा अवसरचना स्थापित करने का काम किया था। इस शोध–पत्र का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री चौ० देवीलाल ने अपने कार्यकाल के दौरान किए गए शिक्षा क्षेत्र में योगदान को जानने का प्रयास करेंगे। जिसका परिणाम आगामी शोधार्थी एवं आमजन को मिलेगा।

मुख्य शब्दः– देवीलाल, शिक्षा, ग्रामीण, मैचिंग ग्रांट, कॉलेज, हरियाणा, स्त्री शिक्षा।

शोध–पत्र

हरियाणा का गठन 1 नवंबर, 1966 को हुआ जिसके प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा बने तथा लगातार संघर्ष के पश्चात् चौ० देवी लाल 21 जून, 1977 से 28 जून, 1979 तथा 20 अगस्त, 1987 से 2 दिसम्बर, 1989 के समय में मुख्यमंत्री बने।[1] इन पदों पर रहते हुए इन्होंने गरीब आमजनों की विभिन्न समस्याओं को विधानसभा में उजागर किया परन्तु हम इस शोध–पत्र में इनके द्वारा किए गए शिक्षाक्षेत्र में बदलाव का वर्णन करेंगे। इन्होंने बचपन से ही शिक्षा को गरीब जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया।

एक बार डबवाली स्कूल से घर आए तो देखा कि इनके चाचा मनिराम कुछ लोगों के साथ बैठे बतिया रहे थे वे सभी हिसार जिला बोर्ड के स्कूल के सदस्य थे। देवीलाल इनके पास गए और कहा कि

आप सब हिसार बोर्ड स्कूल के सदस्य हैं। यहां गाव में आठवीं तक का स्कूल क्यों नहीं बनवा देते ताकि दूसरे गरीब बच्चे जो डबवाली नहीं जा सकते वे भी पढ़ सकें। यह सुन कर सभी को हैरानी हुई। घर जाकर चाचा ने कहा– बच्चू! अगर गरीबों के लिए स्कूल बनवा दिया तो गरीब उनके कहने पर काम नहीं करेंगे। इस बात से इनके मन में ठेस लगी। मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि कोई भी अमीर, किसी गरीब को शिक्षित बनाकर ऊपर नहीं उठाना चाहता।[2] उसी दिन से उन्होंने कथनी और करनी को समझना शुरू कर दिया तथा प्रण किया कि गरीब, अशिक्षित जनता को साक्षर बनाने के लिए वे जीवन भर संघर्ष करेंगे। उन्होंने जीवन भर अपने संघर्ष को निभाया।[3]

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय हरियाणा क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ा हुआ था, इसलिये देवीलाल तथा इस क्षेत्र के दूसरे विधायकों ने सरकारी कोष की बन्दरबांट के विरूद्ध आवाज उठाई। जब प्रिन्सीपल हरभजन सिंह ने मांग की कि हर दसवें मील पर हाई स्कूल होना चाहिये, तो देवीलाल ने उन्हें टोकते हुये कहा कि ***''आप दस मील की बात करते हैं, हमारे हिसार–गुड़गांव क्षेत्र में तो 40–40 मील पर कोई हाई स्कूल नहीं है।''*** उन्होंने इस सम्बन्ध में यह भी बताया कि जहां सारे हरियाणा क्षेत्र में 74 स्कूलों की स्वीकृति दी गई है, वहां पंजाबी क्षेत्र में अकेले एक जिला होशियारपुर में ऐसे स्कूलों की संख्या 55 है।[4] उन्होंने हरियाणा क्षेत्र में शिक्षा पर अधिक धन खर्च करने और वहां से अधिक संख्या में विद्यार्थियों को मैडिकल तथा इन्जीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला दिये जाने की मांग की।[5] देवीलाल ने मार्च 1963 में पंजाब सरकार के दसवीं तक मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की पोल खोलते हुये कहा कि यदि ऐसा था तो सरकार ने बजट में फीसों से वसूली की आय 75 लाख रूपये कैसे दिखाई थी।[6] हरियाणा में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये देवीलाल ने कुरूक्षेत्र संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा कमीशन नियुक्त करने की मांग की,[7] परन्तु उनकी मांग स्वीकार नहीं की गई। सिरसा उपमण्डल में एक भी कॉलेज नहीं था, इस कमी को पूरा करने के लिये 1956 में सिरसा एजूकेशन सोसाईटी की स्थापना की गई जिसे देवीलाल का समर्थन प्राप्त था। उनके कहने पर साहबराम ने सिरसा मार्कीट कमेटी के अध्यक्ष मन्शाराम ने ग्रामीण क्षेत्रों से चन्दा इकट्ठा कराने में सोसाईटी की सहायता की जिसके लिये उन्हें प्रबन्धक कमेटी का सदस्य भी बनाया गया। सिरसा में नेशनल कॉलेज की स्थापना जुलाई 1957 में की गई।[8]

यद्यपि शिक्षा संस्थानों की संख्या पहले से बढ़ गई थी, परन्तु फिर भी हरियाणा इस क्षेत्र में पंजाब से बहुत पिछड़ा हुआ था। मुख्यमन्त्री बनने पर देवीलाल ने कई स्कूलों का स्तर बढ़ाया, तथा स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये 7–8 हजार वाली जनसंख्या के बड़े गांवों और शहरों में लड़कियों के स्कूल खोलने की नीति की घोषणा की जिससे लोग बिना हिचकिचाहट के अपनी पुत्रियों को शिक्षा संस्थानों में भेज सकें।[9] यह भी घोषणा की गई कि यदि किसी क्षेत्र के लोग स्कूल खोलने के लिये पैसा इकट्ठा करेंगे,

तो सरकार उन्हें बराबर का अनुदान अपनी ओर से देगी।[10] शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये 1977–78 के बजट में 486 लाख की बजाए 1978–79 के बजट में 730 लाख की रकम शिक्षा के विकास के लिये रखी गई।[11]

देवीलाल ने शिक्षा में सुधार लाने के लिये पुरानी प्रणाली जिसके अनुसार बच्चों को बिना परीक्षा दिये तीसरी कक्षा तक पास किया जाता था, चाहे उन्हें वर्णमाला के अक्षरों का भी ज्ञान न हो, समाप्त कर दी,[12] क्योंकि वह समझते थे कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिये विद्यार्थी की नींव मजबूत होनी चाहिये। ग्रामीण विद्यार्थियों को शहर के स्कूलों तथा कॉलेजों में शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिये देवीलाल ने बहुत थोड़े पैसे देकर हरियाणा रोडवेज की बसों में यात्रा करने के लिये पास दिये।[13] देवीलाल के इन प्रयासों से हरियाणा में शिक्षा का विस्तार तो हुआ परन्तु स्तर में कोई विशेष सुधार नहीं हो सका क्योंकि सरकार इन स्कूलों को पूरा स्टाफ, नये कक्षा कक्ष, फर्नीचर, पुस्तकालयों में आवश्यक किताबें तथा विज्ञान का सामान आदि पर्याप्त मात्रा में न दिलवा सकी।

देवीलाल विशिष्ट स्कूलों के खिलाफ थे, जो कि नागरिकों की एक अलग ही श्रेणी को जन्म देने का कारण थे, जो भारतीय न होकर यूरोपियन अधिक हों। जहां एक ओर इन स्कूलों पर बहुत अधिक खर्च होता था, वहां दूसरी ओर साधारण स्कूलों को बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी, और वहां बच्चे खुले आसमान तथा पेड़ों के नीचे बैठ कर शिक्षा प्राप्त करते थे।[14] देवीलाल भी बाबू जगजीवनराम तथा विधायक संतकंवर की तरह इन स्कूलों, जहां साधारण विद्यार्थी की पहुंच न हो, को बन्द करने के पक्षधर थे परन्तु संविधान द्वारा इन स्कूलों को प्राप्त अधिकारों के कारण इन्हें बन्द नहीं किया जा सकता था। इसलिये देवीलाल ने इनके मुकाबले अच्छे स्कूल खोलने की घोषणा की जहां गांव के गरीब तथा हरिजनें के बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस सम्बन्ध में उन्होंने राई (सोनीपत) के स्पोर्टस स्कूल का उदाहरण दिया जहां बच्चों को उनकी शैक्षणिक योग्यता एवं खेल प्रवीणता क आधार पर प्रवेश दिया जाता था। इस स्कूल को और भी अच्छे ढंग से चलाने के लिये इसे अधिक अनुदान दिया गया तथा प्रसिद्ध पहलवान मास्टर चन्दगीराम को वहां अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया, [15] पर अखाड़े का वह शेर कार्यालय में अपने जौहर न दिखा सका और शीघ्र ही चित्त हो गया।

देवीलाल का ध्यान गैर सरकारी कॉलेजों में पाई जाने वाली धांधलियों की ओर भी दिलाया गया, जहां बहुत अधिक कुप्रबन्ध एवं भ्रष्टाचार फैला हुआ था, और कुछ कॉलेज तो विद्यार्थियों से पांच–दस हजार रूपये चन्दा वसूल कर रहे थे। सरकार को इन कॉलेजों के प्रबन्धकों के विरूद्ध विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा क्षेत्र के लोगों से शिकायतें मिल रही थी तथा होडल और सिरसा में तो विद्यार्थियों द्वारा आन्दोलन भी चलाया जा रहा था। गयालाल, स्वामी आदित्यवेश तथा शंकरलाल आदि विधायकों ने सरकार पर इन

कॉलेजों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के लिये दबाव डाला।[16] इसलिये 1978 में विधानसभा में हरियाणा प्राइवेट कॉलेज (टेकिंग ओवर ऑफ मैनेजमैन्ट) बिल पेश किया गया, [17] जिसका राव वीरेन्द्र सिंह, जो स्वयं कई प्राईवेट कॉलेज चला रहे थे, ने डट कर विरोध किया, परन्तु देवेन्द्र शर्मा, आर०एस० मान एवं एच०एस० बूरा आदि विधायकों ने बिल का जोरदार समर्थन किया, जिससे अगस्त 1978 में बिल पास हो गया।[18] इस बिल को पलवल के भूतपूर्व विधायक जो प्राईवेट कॉलेजों की प्रबन्धक समितियों की सोसइटी के सचिव भी थे, वकील हरकिशन ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसने कानून को असंवैधानिक करार दिया। इस पर हरियाणा सरकार द्वारा के०सी० शर्मा, आई०ए०एस० की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गई, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने उन कमजोर कॉलेजों को अपने अधीन लेने का निर्णय किया जिसकी प्रबन्धक समिति प्रस्ताव पास कर सरकार से इस सम्बन्ध में अनुरोध करे। इसी आधार पर देवीलाल और फिर भजनलाल ने एक दर्जन से अधिक प्राईवेट कॉलेजों जैसे सिरसा, टोहाना, हांसी, नरवाना, सफीदों, तिगांव, गुड़गांव (एस०डी० द्रोणाचार्य कॉलेज), होडल, नगीना, दुजाना, दुबलधन, गोहाना आदि को अपने प्रबन्ध में ले लिया। सरकार द्वारा इन कॉलेजों को अपने अधिकार में लेने से विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के अच्छे साधन मिले, अभिभावकों पर पड़ने वाला बोझ कम हुआ तथा वहां के कर्मचारियों ने सुख की सांस ली।[19] चौ० देवी लाल ने अपनी आगामी पंचवर्षीय योजना में एक भाषण के दौरान कहा था कि सरकार हरिजन लड़कियों को मुफ्त वर्दी देगी जिससे लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।[20]

चौ० देवी लाल का हरिजन, अनुसूचित जाति के लोगों को शिक्षा उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने घुमंतु (लुहार) जाति के बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए एक योजना बनाई थी। जिसमें घुमन्तु जाति के बच्चों को स्कूल में प्रतिदिन उपस्थित रहने पर एक रूपए के हिसाब से छात्रवृति प्रदान की जाएगी तथा बच्चे के लगातार छः महीने स्कूल में उपस्थित रहने पर गांव की पंचायत की तरफ से उस परिवार को मकान बनाने के लिए जगह भी दी जाएगी तथा राज्य सरकार की तरफ से 5000 रूपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इस योजना से घुमन्तु जाति के बच्चों को शिक्षा भी मिलेगी और घुमन्तु परिवार भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे।[21] चौ० देवी लाल ने हरिजनों, दलित व पिछड़े वर्ग के लड़कों को सांइस व अंग्रेजी विषय का ट्यूशन का खर्च भी राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा तथा सरकार द्वारा हरिजन बच्चों के लिए किताबें व कापियां खरीदने का भी प्रावधान किया गया था।[22]

रोहतक में महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय की स्थापना के पश्चात् रेवाड़ी के लोगों ने 1988 में अपने क्षेत्र में इसका स्नातकोत्तर क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने की मांग की। देवीलाल ने साधनों की कमी के बावजूद उनकी मांग स्वीकार करते हुये केन्द्र की स्थापना के लिये विश्वविद्यालय को दिल खोल कर अनुदान दिया।[23]

उपरोक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि चौ. देवीलाल ने शिक्षा क्षेत्र में सराहनीय कार्य किऐ। हरियाणा में शिक्षा क्रान्ति लाने का श्रेण चौ. देवीलाल को भी दिया जाता है। इन्होंने हरियाणा में शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों को विधानसभा में उजागर किया। इन्होंने शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्कीमें चलाई ताकि गरीब वर्ग भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। इन्होंने हर वर्ग तक शिक्षा पहुंचाने के लिए पर्याप्त कार्य किए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1 झम्ब, चमन लाल, ***चीफ मिनिस्टर्स ऑफ हरियाणा***, अरूण पब्लिशिंग हाऊस प्राइवेट लिमिटेड, चण्डीगढ़, 2001, पृ. 138

2 सिहाग, डॉ० अमरजीत, ***किंग मेकर***, अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स (प्रा.) लिमिटेड, नई दिल्ली, 2001, पृ. 8

3 वही, पृ. 9

4 पंजाब विधानसभा डिबेट्स, खण्ड 1, 6 मार्च, 1956, पृष्ठ (4) 60–61

5 वही, खण्ड 1, 6 अप्रैल, 1962, पृष्ठ (15) 29

6 वही, खण्ड 1, 17 मार्च, 1963, पृष्ठ (16) 119–22

7 वही, खण्ड II, 5 नवम्बर, 1962, पृष्ठ (1) 212

8 गुप्ता, जुगल किशोर, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज, ''सिरसा–ए–हिस्टोरिकल पर्सपक्टिव'', घग्घर, सिरसा (1987–88), पृ. 6–8

9 हरियाणा विधानसभा डिबेट्स, खण्ड 1, 6 जुलाई, 1977, पृष्ठ (4) 38

10 वही, खण्ड 1, 6 मार्च, 1979, पृष्ठ (5) 178–80

11 वही, खण्ड 1, 10 मार्च, 1978, पृष्ठ (10) 85–86

12 गुप्ता, डॉ० जुगल किशोर, ***देवी लाल – एक मूल्यांकन***, आस्था प्रकाशन, नई दिल्ली, 1998, पृ. 130

13 वही

14 वही

15 हरियाणा विधानसभा डिबेट्स, खण्ड 1, 6 मार्च, 1971, पृष्ठ (5) 76–77

16 द टाईम्स ऑफ इण्डिया, दिसम्बर 27, 1977

17 द हरियाणा प्राइवेट कॉलेज (टेकिंग ओवर ऑफ मैनेजमेंट बिल 1978) Bill no. 23, HSA of 1978

18 द टाईम्स ऑफ इण्डिया, मार्च 15, 1978

19 गुप्ता, डॉ० जुगल किशोर, ***देवी लाल – एक मूल्यांकन***, आस्था प्रकाशन, नई दिल्ली, 1998, पृ. 131

20 त्रिखा, डॉ० चन्द, बांगड़ संतोष, सिंह हरबंस, शर्मा एम०एम०, ***"गौरवगाथा"***, चौधरी देवी लाल स्मारक ट्रस्ट, नई दिल्ली, 2002, पृ. 360

21 सिहाग, डॉ० अमरजीत, ***किंग मेकर***, अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स (प्रा.) लिमिटेड, नई दिल्ली, 2001, पृ. 76

22 त्रिखा, डॉ० चन्द, बांगड़ संतोष, सिंह हरबंस, शर्मा एम०एम०, ***"गौरवगाथा"***, चौधरी देवी लाल स्मारक ट्रस्ट, नई दिल्ली, 2002, पृ. 360

23 गुप्ता, डॉ० जुगल किशोर, ***देवी लाल – एक मूल्यांकन***, आस्था प्रकाशन, नई दिल्ली, 1998, पृ. 131

Copyright & License:

© Authors retain the copyright of this article. This work is published under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), permitting unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.